न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 110/2018

1 वैध प्रहलाददास उर्फ प्रहलादराय चेला महादेव दास उम्र 70 वर्ष जाति स्वामी निवासी राजगढ़ रोड़ साबू कॉलेज के सामने पिलानी तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 छोटेलाल पुत्र बाबूलाल उम्र 44 वर्ष जाति दर्जी निवासी साबू कॉलेज के पास राजगढ़ रोड़ पिलानी तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।
2 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सुरजगढ़ तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 16.10.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ मुकदमा उनवानी प्रहलादराय बनाम छोटेलाल आदि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 127/2018

उपस्थिति :

1. श्री सुरेन्द्र सिंह किशनावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रमोद पूनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 25.08.2021

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
राजस्व अपील अधिकारी

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ द्वारा मुकदमा संख्या 127/2018 में पारित निर्णय दिनांक 16.10.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने ग्राम पिलानी तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू की भूमि खसरा नम्बर 1350/975,974 बाबत धारा 212 का आवेदन प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलांट का आवेदन खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट का बेदखली एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लम्बित है। अपीलांट खातेदार काश्तकार है रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अपीलांट के लड़के से साजिश करके विक्रय का इकरार कर लिया, पंजिकृत विक्रय पत्र नही है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट का कब्जा नही मानते हुये प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जबकि अपीलांट का दावा ही बेदखली का था। इकरारनामा से अधिकार उत्पन्न नही होते है। अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो घटक अपीलांट के पक्ष में होते हुये भी अपीलांट का आवेदन खारिज किया गया है जो विधि विरूद्व है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचाराधीन आदेश में सम्पूर्ण तथ्यों का विवेचन कर विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है। विक्रय के इकरारनामे पर अपीलांट के सहमती स्वरूप हस्ताक्षर है। पत्रावली में प्रस्तुत अन्य रजिस्ट्री में दर्ज चतुर्थत सीमाओं में विचाराधीन आदेश की भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा होना साबित है। सिविल न्यायालय में लम्बित प्रकरण में नियुक्त मौका कमिश्नर रिपोर्ट में रेस्पोडेंट का कब्जा होना साबित है। रेस्पोडेंट सदभावी केता है एवं काबिज काश्त है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह साबित होता है कि दिनांक 29.05.2017 को अपीलार्थी के पुत्र नवीन चन्द्र द्वारा एक भूखण्ड 250× 125 फीट नाप का प्रत्यर्थी संख्या 01 को अस्सी हजार रूपये में बेचने का करार किया था और उसी दिन नगद राशि प्राप्त कर भौतिक कब्जा केता का विवादित जायदाद पर करा दिया था। उक्त इकरारनामे में खसरा नम्बर 975 अंकित है तथा नवीन चन्द्र ने अपने आपको अपने पिता के द्वारा की गई लिखावट 22.02.1987 के द्वारा उपहार में प्राप्ति के आधार पर विवादित जायदाद पर स्वामी बताया है। इतना ही नहीं उक्त लिखावट पर अपीलार्थी वैद्य प्रहलाद राय के बतौर गवाह हस्ताक्षर है और अंगूठा निशानी की हुई है। स्वंय अपीलार्थी ने अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। इसलिए उक्त लिखावट के आधार पर प्रथम दृष्टया मौके पर कब्जा प्रत्यर्थी संख्या 1 का ही परिलक्षित होता है। मौके पर दो अलग–अलग मौका कमिश्नर भेजे गये थे। उनके रिपोर्ट के अनुसार भी मौके पर प्रत्यर्थी संख्या 1 का ही कब्जा है। इस प्रकार मौके पर कब्जा प्रत्यर्थी संख्या 1 का साबित है जो दस्तावेज 29.05.2017 के अनुसरण में किया गया है। इस प्रकार वह अपीलार्थी के द्वारा दी गई स्वीकृति आधारित कब्जा है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनना नही पाया जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में अपर जिला न्यायाधीश चिड़ावा द्वारा दिनांक 13.08.2018 को पारित निर्णय में वर्तमान अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन को अस्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 25.08.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर